राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015

राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" कैम्प 2015 ग्राम पंचायत भीम
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
(नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :– ग्राम पंचायत भीम

प्रकरण सं.– 32/2012 प्रा.प्र.

निर्णय दिनाक– 02 जुलाई, 2015

1. श्री वन्नाराम पिता कालूराम जाति बलाई निवासी बरतु भीम तहसील भीम
2. श्रीमति गंगादेवी पत्नि कालूराम जाति बलाई निवासी बरतु भीम तहसील भीम
3. श्रीमति कमलादेवी पत्नि महेन्द्र कुमार जाति बलाई निवासी बरतु भीम तहसील भीम
4. श्री पुष्करराज पिता मिठालाल जाति बलाई निवासी पाटिया भीम तहसील भीम
5. श्री दिलिप कुमार पिता मिठालाल जाति बलाई निवासी पाटिया भीम तहसील भीम
6. श्रीमति सायरी देवी पत्नि मिठुलाल जाति बलाई निवासी पाटिया भीम तहसील भीम

प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमति फूलीदेवी पत्नि अन्नाराम जाति बलाई निवासी मगरी भीम तहसील भीम
2. श्री आसुसिंह पिता भूरसिह जाति बलाई निवासी मगरी भीम तहसील भीम
3. श्री नारायणलाल पिता कालूराम जाति बलाई निवासी बरतु भीम तहसील भीम

अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. लेण्ड रेवेन्यु एक्ट
वास्ते कराये जाने पक्की पत्थरगढी

यह कि अन्य आराजियात के अलावा वाके ग्राम नेडी पटवार हल्का भीम तहसील भीम में मुझ प्रार्थी के कब्जे स्वामित्व व आधिपत्य की हाल जमाबन्दी खतौनी के अनुसार आराजियात निम्न हैः–

खसरा नं.	रकबा			किस्म
	बीघा	बिस्वा	बिस्वांसी	
14940	01	18	00	नहरी 1
कुल किता 1 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा				

उक्त जमीन पर मेरा कब्जा चला आ रहा है जमीन आज भी मेरे नाम पर चली आ रही है।
उक्त भूमि के पडौस निम्न प्रकार हैः–
पूर्व में:– फुलीदेवी पत्नि अन्नाराम बलाई का खेत
पश्चिम में :– करेडा रोड
उत्तर में:– नहर
दक्षिण :– आसुसिंह पिता भूरसिंह का मकान।

मौके पर विपक्षी को अपनी जमीन की सीमा चिन्ह की जानकारी न होने की वजह से आये दिन पाली डोली को लेकर अक्सर विवाद बना रहता है तथा कई बार झगडा भी हो गया है।

अभी दिनांक 08.05.2012 को भी अंतिम बार विपक्षी जो कि उत्तर दिशा के पडौसी है के द्वारा झगडा भी किया गया जिस पर मौके पर मैंने गांव के लोगो ने समझाया पूर्व में सीमा चिन्ह की जानकारी भी करवाई उसके बाद भी विपक्षी द्वारा नही मानने से तथा यह कहने से कि तुम ही पत्थरगढी करवा लो। अतः विवश होकर यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड रहा है। जो कि अन्दर अवधि पेश है।

विपक्षी सख्या 2 व 3 की तरफ से उक्त आराजी मे किसी प्रकार से कोई बाधा उत्पन्न नही है लेकिन उक्त आराजी से लगती हुई भूमि के खातेदार होने के कारण उन्हे आवश्यक पक्षकार बनाया गया है।

अतः वादी का वाद प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर **राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015 कैम्प भीम** में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगणो को बाद समझाईश आपसी राजीनामे से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त वर्णित आराजियात का दोनो पक्षो की उपस्थिति में पत्थरगढी कराये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भीम को लिखा जावे कि प्रार्थी से नियमानुसार शुल्क जमा करा उक्त विवादित भूमि की पत्थरगढी करा पालना से अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(उपखण्ड अधिकारी एवं)
पीठासीन अधिकारी भीम
जिला-राजसमन्द

Scanned by CamScanner